

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर (म.प्र.)

(आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2023 में बारहवां संशोधन आदेश)

क्रमांक / 138 / सी.जे.एम. / 2024


जबलपुर, दिनांक 15.02.2024

मैं आलोक प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर, जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए पूर्व में जारी आपराधिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 03.01.2023 में प्रशासनिक कार्यव्यवस्था की दृष्टि से निम्नानुसार संशोधन करता हूँ, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं शेष आदेश यथावत रहेगा—

- 1— कार्यविभाजन आदेश के सरल क्रं. 16 (श्रीमती रुचि गोलस सगर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) को पूर्ण रूप से विलोपित किया जाता है।
- 2— कार्यविभाजन आदेश के सरल क्रं. 32 (श्री वेद प्रकाश सगर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रिक्त न्यायालय) के कॉलम क्रं. 03 को पूर्ण रूप से विलोपित किया जाता है।
- 3— कार्यविभाजन आदेश के सरल क्रं. 33 (श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) के कॉलम क्रं. 03 से आरक्षी केन्द्र आधारताल, यातायात घमापुर समाहित किया जाता है।
- 4— कार्यविभाजन आदेश के सरल क्रं. 17 (श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) के कॉलम क्रं. 03 से आरक्षी केन्द्र पनागर विलोपित कर आरक्षी केन्द्र गोहलपुर प्रतिस्थापित किया जाता है।
- 5— कार्यविभाजन आदेश के सरल क्रं. 13 (श्रीमती विधि डागलिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) के कॉलम क्रं. 03 में आरक्षी केन्द्र काईम ब्रांच समाहित किया जाता है।
- 6— कार्यविभाजन आदेश के सरल क्रं. 24 (श्रीमती मृणालिनी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) को पूर्ण रूप से विलोपित किया जाता है।
- 7— कार्यविभाजन आदेश के सरल क्रं. 29 (श्री किशन देव सिंह पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) के कॉलम क्रं. 03 से आरक्षी केन्द्र तिलवारा समाहित किया जाता है।
- 8— कार्यविभाजन आदेश के सरल क्रं. 09 के कॉलम क्रं. 02 में (श्री वेद प्रकाश सगर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर) एवं कॉलम क्रं. 03 में आरक्षी केन्द्र पनागर समाहित किया जाता है।
- 9— कार्यविभाजन आदेश के सरल क्रं. 06 (श्री मनीष कुमार सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर) के कॉलम क्रं. 02 से आरक्षी केन्द्र गढा विलोपित किया जाता है।
- 10— कार्यविभाजन आदेश के सरल क्रं. 22 (श्री मनमोहन सिंह कौरव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) के कॉलम क्रं. 03 से आरक्षी केन्द्र गढा समाहित किया जाता है।

11- कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 15 (श्री धनकुमार कुडोपा जे.एम.एफ.सी. रिक्त न्यायालय) के कॉलम क. 02 में श्रीमती मृणालिनी सिंह, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर का नाम प्रतिस्थापित किया जाता है।

12- कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 03 (श्री अरविंद सिंह टेकाम, जे.एम.एफ.सी. रिक्त न्यायालय) के कॉलम क. 02 में श्रीमती रुचि गोलस सगर, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर का नाम प्रतिस्थापित किया जाता है।



(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक / / सी.जे.एम. / 2024

जबलपुर, दिनांक 15.02.24

प्रतिलिपि:-

1. कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर को सूचनार्थ।
3. सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।


(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर